सम्पत्तिकर की राशि जमा करने निगम ने खोले अतिरिक्त काउंटर अवकाश के दिन खुले रहेंगे

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई ने नागरिको की सुविधा के लिए सम्पत्तिकर, भुभाटक एवं करो के भुगतान के लिए अवकाश के दिनो में भी टैक्स काउंटर को खुला रखा रहा है। आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर निगम मुख्यालय सुपेला में सम्पत्तिकर ,भुभाटक,जल कर,दुकान किराया की राशि जमा करने के लिए अलग से काऊंटर स्थापित किया है। जहाँ नागरिक अपने भवनो के सम्पत्तिकर राशि का गणना करवा कर माँग अनुसार राशि जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते है उसी प्रकार सभी जोन कार्यालय नेहरूनगर , वैशालीनगर, मदर टेरेसा नगर,शिवाजीनगर खुर्सीपार में भी टैक्स जमा करने हेतु काऊंटर खुले है। निगम के देय करो के भुगतान के आनलाइन सुविधा भी नागरिकों के लिए प्रारंभ किया गया

वेबसाईट https://Chhattishgarhmunicipal.com/nagarnigam/citizen/ के माध्यम से नागरिक घर बैठे निगम के करो का भुगतान कर सकते है। ज्ञात हो कि 31 मार्च के बाद सम्पत्तिकर पर 18 प्रतिशत अधिभार तथा एक हजार रूपये शास्ति शुल्क की राशि अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

निगम प्रशासन ने भिलाई निगम क्षेत्र के भवन मालिको से अपील किया है कि सम्पत्तिकर राशि का भुगतान 1 अप्रैल से पूर्व कर लगने वाले अधिभार तथा शास्ति शुल्क की राशि के भुगतान से बच सकते है।